कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य./पीएसपीसी/आरटीई/दिशा निर्देश/60316/2019–20 दिनांकः 28/8/19

जिला शिक्षा अधिकारी, ई–मेल से आज ही
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा,
....(समस्त)।

विषयः राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं सम्भाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के पश्चात् एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में दिशा – निर्देशों में संशोधन बाबत्।

संदर्भः शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग जयपुर, दिनांक 18.07.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं सम्भाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के पश्चात् एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अंधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के संबंध में दिनांक 27.09.2018 को जारी दिशा–निर्देशों में प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 18.07.2019 के द्वारा संशोधन किया गया है। संबंधित पत्र की छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है। शासन द्वारा प्रदत् दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिकशिक्षा निदेशालय
राजस्थान, बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

Email : secedurte@gmail.com D:\IA-RTE-Shrawan.docx

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग

क्रमांक : प. 21(32)प्राशि/आयो/2017 पार्ट IV

जयपुर दिनांक 18-07-2019

1. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के पश्चात् एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में दिशा-निर्देशों में संशोधन बाबत।

संदर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं सम्भाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के पश्चात् एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्य संचालन एवं कार्यरत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में दिनांक 27.09.2018 की जारी दिशा-निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. बिन्दु संख्या 2.2 – ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम (ACBEO-I) द्वारा सम्पादित कार्यों के बिन्दु संख्या 2.2.2.4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

   "ब्लॉक में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रारम्भिक प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगें।"

2. बिन्दु संख्या 2.3 – अतिरिक्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय (ACBEO-II) द्वारा सम्पादित कार्यों के बिन्दु संख्या 2.3.2.4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

   "ब्लॉक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रारम्भिक प्रवेश कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगें।"

3. बिन्दु संख्या 3.3 – जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) प्रारम्भिक के द्वारा सम्पादित कार्यों के बिन्दु संख्या 3.3.2.4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

   "प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यों यथा – प्रवेश, प्रमाणीकरण, भौतिक सत्यापन, फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जांच समस्या समाधान आदि से सम्बन्धित कार्यों के प्रभारी होगें।"

...2...

शैक्षिक समाचार राजस्थान
Scanned by CamScanner

4. बिन्दु संख्या 3.4 – जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक के द्वारा सम्पादित कार्यो के बिन्दु संख्या 3.4.2.3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

"माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक निजी विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीट्स पर निःशुल्क प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यो यथा – प्रवेश, प्रमाणीकरण, भौतिक सत्यापन, फीस पुनर्भरण, शिकायतों की जांच समस्या समाधान आदि से सम्बन्धित कार्यो के प्रभारी होगें।"

शेष यथावत।

भवदीया

(ज्योति चौहान)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
11. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग।
12. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/2/5)/प्रारम्भिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग।
13. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त सम्भाग (वर्तमान सम्भागीय उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा)।
14. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान (वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एसएसए/रमसा।)
15. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ. समग्र शिक्षा अभियान (वर्तमान ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/बी.आर.सी.एफ.(रमसा/एसएसए)।
16. प्रभारी अधिकारी, शाला दर्पण/शाला दर्शन पोर्टल/स्कूल शिक्षा विभाग वेबसाइट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
17. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन. यादव)
अनुसंधान अधिकारी

694

E:\20-11-2017\Letter.docx

शैक्षिक समाचार राजस्थान

Scanned by CamScanner